



Neutral Citation No. -2026: AHC: 178730

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29951/2026

आकाश कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता	: अंकित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, उमेश चंद्र शुक्ला
विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 270/2017, अंतर्गत धारा 406, 467, 468, 471, 120-बी भारतीय दंड संहिता, थाना-मुगलसराय, जनपद-चंदौली में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा अंतरस्थ हेतु वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है और उसने अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। आगे यह प्रस्तुत किया कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। उसका नाम विवेचना के दौरान सामने आया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि कथित आरोप के अनुसार सूचनाकर्ता ने आवेदक के बैंक खाते में ₹16,88,056/- हस्तांतरित किए तथा इसके बाद आवेदक के निर्देश पर सूचनाकर्ता ने ₹12,50,000/- कंपनी के बैंक खाते में हस्तांतरित किए। इसी बीच, आवेदक के जेल में होने के कारण उसके पिता ओम प्रकाश भगत के माध्यम से सूचनाकर्ता एवं आवेदक के बीच समझौता हो गया। सुलहनामा दिनांक 29.07.2026 की शर्तों के अनुसार, सूचनाकर्ता ने ₹25,00,000/- के बदले आवेदक के साथ अपने विवाद का निपटारा करने, तथा आवेदक के विरुद्ध वर्तमान मुकदमा वापस लेने पर सहमति व्यक्त की। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत किया कि आवेदक 07.07.2026 से जेल में है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त दीपक जायसवाल को इस न्यायालय की समक्ष पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 25756/2018 में दिनांक 23.07.2028 के आदेश द्वारा जमानत प्रदान की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक यह वचन देता है कि वह स्वतंत्रता प्रका दुर्ूपयोग नहीं करेगा, यदि प्रदान की जाती है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

4. जमानत की प्रार्थना का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा जोरदार विरोध किया गया।

5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता, तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि आवेदक विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है।

6. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. आवेदक, **आकाश कुमार** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन के गवाहों पर कोई दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें भयभीत करेगा।

(iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(iv) आवेदक उस अपराध के समान किसी अपराध को कारित नहीं करेगा, जिसके कारित करने का उस पर आरोप है अथवा जिसके कारित करने का उस पर संदेह है।

(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

8. यह भी आगे निर्देशित किया गया कि जमानतदारों की पहचान, हैसियत एवं निवास संबंधी प्रमाण-पत्रों का संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद ही उन्हें स्वीकार किया जाए।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं तथा उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

अगस्त 24, 2026

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।